भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3486
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को कृषि तकनीक क्षेत्र का लाभ पहुंचाने के लिए जांच समिति
3486. श्री दिलेश्वर कामैत:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार द्वारा देश के किसानों के लाभ के लिए कृषि तकनीक क्षेत्र में तीव्र विकास का उचित लाभ लिया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आकलन का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन को आगे बढ़ाने और छोटे खेतों की दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाने में कृषि-तकनीक उद्योग की महत्वपूर्ण क्षमता को स्वीकार करती है। इसके अलावा, चुनौतियों का समाधान करने और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में कृषि-तकनीक की भूमिका को मान्यता देते हुए कृषि में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल और नीतियां शुरू की गई हैं।

वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ़्तार) के अंतर्गत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" नामक घटक शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को पोषित करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत, स्टार्ट-अप को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा नियुक्त ज्ञान भागीदारों और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटरों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 1176 स्टार्ट-अप का चयन किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) वर्ष 2016-2017 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि (एन.ए.आई.एफ.) नामक परियोजना के तहत कृषि आधारित स्टार्टअप का समर्थन कर रही है। इसके दो घटक हैं: (I) नवाचार निधि; (II) इनक्यूबेशन फंड और राष्ट्रीय समन्वय इकाई (एनसीयू):
घटक I: 99 आईसीएआर संस्थानों में स्थापित 10 क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयाँ और 89 संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयाँ (आईटीएमयू) नवाचारों का प्रबंधन करने, बौद्धिक संपत्तियों को प्रदर्शित करने और इन संस्थानों में बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रबंधन और प्रौद्योगिकियों के अंतरण/व्यावसायीकरण से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए एकल-खिड़की तंत्र प्रदान करती हैं।
घटक II: स्टैक होल्डरों को नई तकनीकों की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेटर केंद्र (ए.बी.आई.सी.) स्थापित किए गए हैं। ए.बी.आई.सी. मान्य प्रौद्योगिकियों के इनक्यूबेशन/व्यावसायीकरण के लिए कृषि अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) संस्थानों के लिए वांछित लिंक प्रदान करने के लिए नोडल बिंदु हैं। अब तक, एन.ए.आई.एफ. योजना के तहत आई.सी.ए.आर. नेटवर्क में 50 कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं और चालू हैं।

इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मानचित्र और अन्य आईटी पहलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। एग्रीस्टैक परियोजना

इस मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है, जिसमें कृषि क्षेत्र में तीन मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं, यानी किसानों की रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गाँव के नक्शे और फसल बोई गई रजिस्ट्री। इस प्रणाली का उद्देश्य उभरती हुई डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देते हुए प्रयासों की अंतर-संचालन क्षमता और अभिसरण को बढ़ाना है।

****